बिहार सरकार

बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

विश्वेश्वरैया भवन परिसर, बेली रोड, पटना–800015

पत्रांकः पी0एच0 / बि.ज.स्व.मि.–109 / 2006 – 317 दिनांकः 3–8–2010

प्रेषकः रबीन्द्र पवांर
प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
सह–अध्यक्ष, कार्यकारी समिति,
बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना।

सेवा में,
सभी उप विकास आयुक्त सह–अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।
सभी कार्यपालक अभियंता–सह–सदस्य सचिव,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति।

विषयः सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विद्यालय शौचालय तथा आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण के यूनिट दर के संशोधन के संबंध में।

प्रसंगः निदेशक (सी.आर.एस.पी.), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार का पत्रांक–डब्लू–11013 / 3 / 2009–सी.आर.एस.पी., दिनांक 23.07.2010।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विद्यालय शौचालय निर्माण के यूनिट दर को 20,000/–प्रति यूनिट से बढ़ाकर 35,000/–(कठिन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 38,500/–) तथा आंगनबाड़ी शौचालय निर्माण के यूनिट दर को 5,000/–प्रति यूनिट से बढ़ाकर 8,000/–(कठिन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 10,000/–) करने की सूचना दी गयी है।

तदनुसार विद्यालय एवं आगंनबाड़ी शौचालय निर्माण के मॉडल प्राक्कलन को वर्तमान अनुसूचित दर पर संशोधित करते हुए शौचालय निर्माण कराने पर तत्काल प्रभाव से संशोधित दर पर भुगतान किया जा सकता है। विद्यालय एवं आगंनबाड़ी शौचालय निर्माण के मॉडल प्राक्कलन को वर्तमान अनुसूचित दर पर संशोधित किया जा रहा है, जिसे सुगम प्रसंग हेतु शीघ्र जिलों को भेजी जायेगी।

विश्वासभाजन

3.8.10

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 317 पटना, दिनांकः 3–8–2010

प्रतिलिपिः सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता–सह–अध्यक्ष कार्य ग्रुप, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.10

(रबीन्द्र पवांर)
प्रधान सचिव